UPSR010014872026

न्यायालय विशेष न्यायाधीश(गैगस्टर एक्ट)/ अपर सत्र न्यायाधीश/
विशेष न्यायाधीश (अनन्य रूप से पॉक्सो एक्ट) श्रावस्ती

पीठासीन अधिकारी–सौरभ सक्सेना, (उच्चतर न्यायिक सेवा) I.D – UP–1753

जमानत आवेदन संख्या–583/2026

मैनुद्दीन उर्फ खुर्चाली उर्फ लम्बू पुत्र वली मोहम्मद उम्र–50 वर्ष निवासी–संधौली बाबागंज, थाना–रूपईडीहा, जनपद–बहराइच।

—————— आवेदक/अभियुक्त।

बनाम

राज्य (यू०पी०) ————— .अभियोजक।

मुकदमा अपराध संख्या–107/2026
धारा–3(1) उत्तर प्रदेश गिरोहबन्द समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम
थाना–गिलौला, जनपद–श्रावस्ती।

दिनांक–24–07–2026

प्रस्तुत जमानत आवेदन आवेदक/अभियुक्त मैनुद्दीन उर्फ खुर्चाली उर्फ लम्बू द्वारा अन्तर्गत मुकदमा अपराध संख्या–187/2026 धारा–3(1) उत्तर प्रदेश गिरोहबन्द समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, थाना–गिलौला, जनपद–श्रावस्ती के मामले में प्रस्तुत किया गया है।

संक्षिप्त अभियोजन कथानक के अनुसार दिनांक 25.06.2026 को SO आशीष कुमार मय हमराह रि0 का0 अभिषेक कुमार मय सरकारी वाहन सूमो गोल्ड UP 46G 0174 मय चालक का० देशदीपक यादव के देखभाल क्षेत्र भ्रमण में थे। दौरान भ्रमण जनता के लोगो से पुनः जानकारी प्राप्त हुई व पूर्व में भी जनता के लोगो के द्वारा यह बात संज्ञान में आती रही है कि अनवर अली पुत्र रमजान अली निवासी रमवापुर थाना रानीपुर जनपद बहराइच व इसके साथी क्रमशः **मैनुद्दीन उर्फ खुर्चाली उर्फ लम्बू** पुत्र वली मोहम्मद निवासी संधौली बाबागंज थाना रुपईडीहा जनपद बहराइच व मैसर अली पुत्र मो० हनीफ निवासी कंदौसा थाना बौंडी जनपद बहराइच का एक संगठित गिरोह है। गैंग लीडर अनवर अली पुत्र रमजान अली उपरोक्त है, यह अपने तथा अपने गैंग के सक्रिय सदस्य के आर्थिक भौतिक व दुनियाबी लाभ के हेतु जनपद श्रावस्ती एवं आस पास के जनपदों में चोरी व नकबजनी जैसे जघन्य अपराध की घटना कारित करके चोरी से प्राप्त किया गया सामान बेचकर धन अर्जित करने का अपराध कारित किया जाता है। इस गैंग का व्यापक आपराधिक इतिहास है। गैंग लीडर अनवर अली पुत्र रमजान अली निवासी रमवापुर थाना रानीपुर जनपद बहराइच व इसके साथी क्रमशः मैनुद्दीन उर्फ खुर्चीली उर्फ लम्बू पुत्र वली मोहम्मद निवासी संधौली बाबागंज थाना रुपईडीहा जनपद बहराइच व मैसर अली पुत्र मो० हनीफ निवासी कंदौसा थाना बौंडी जनपद बहराइच के विरुद्ध थाना स्थानीय पर 263/2025 धारा 305 (क), 331 (4), 317(2), 317(4), 3(5) बीएनएस थाना गिलौला, व मु0 अ 0 सं0 307/2025 धारा 109, 351(3), 352 बीएनएस व 3/25 आर्म्स एक्ट थाना गिलौला पर पंजीकृत है तथा मु0 अ 0 सं0 082/2025 धारा 305

Digitally signed by SAURABH SAXENA
Date: 2026.07.24 15:24:03 IST
Reason: ASJ (Excl POCSO Act) Shravasti
Location: District and Sessions Court Shravasti

(क), 317(2), 317 (4) बीएनएस थाना नवीन मार्डन पुलिस थाना श्रावस्ती पर पंजीकृत होकर बाद विवेचना आरोप पत्र मा० न्यायालय विचाराधीन है। इनके उपरोक्त कारित घटना से जनता में भय का वातारण व्याप्त है । इनके भय से जनता का कोई भी व्यक्ति इनके विरुद्ध गवाही देने को तैयार नहीं होता है। इनका तथा इनके आपराधिक गैंग पर अंकुश लगाया जाना आवश्यक है। इनका समाज में स्वछंद रहना जनहित में उचित नहीं है। उपरोक्त गैंग के विरुद्ध एवं इस गिरोह के द्वारा किये गये आपराधिक कृत्य उत्तर प्रदेश गिरोह बंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधि0 1986 की धारा 2 (ख) (एक) में परिभाषित तथा बीएनएस के धारा 17 से सम्बन्धित धारा 3 (1) उत्तर प्रदेश गिरोह बंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधि0 1986 के तहत दंडनीय अपराध है इस गिरोह को नकब जनी चोरी लूट करने से रोकने के लिए समुदाय के लिए आवश्यक प्रदायो और सेवाओं को बनाये रखने के प्रतिकूल कार्यवाही करने से रोकने के उद्देश्य इस गिरोह के विरुद्ध धारा 3 (1) उत्तर प्रदेश गिरोह बंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधि0 1986 में निहित प्रावधानों के तहत नितान्त आवश्यक है। दिनांक 20.05.2026 को उक्त गैंग के विरुद्ध गैंग चार्ट तैयार कर अनुमोदन हेतु उच्चाधिकारीगणों को प्रेषित किया गया था। श्रीमान पुलिस महानिरीक्षक देवीपाटन परिक्षेत्र गोण्डा द्वारा दिनांक 04.06.2026 को आई0डी0–29/2026 पर सूचीबद्ध किया। इस गैंग के अपराधिक कृत्यों पर अंकुश लगाने हेतु श्रीमान जिला मजिस्ट्रेट महोदय श्रावस्ती से गैंग चार्ट का अनुमोदन भी प्राप्त किया जा चुका है। उपरोक्त तहरीर के आधार पर गैंग लीडर अनवर अली पुत्र रमजान अली निवासी रमवापुर थाना रानीपुर जनपद बहराइच एवं इसके उपरोक्त गैंग के सभी सदस्यों के विरुद्ध धारा 3 (1) उत्तर प्रदेश गिरोह बंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधि0 1986 के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत कराया गया।

जमानत आवेदन/शपथ पत्र में आवेदक/अभियुक्त ने यह अभिकथित किया है कि आवेदक/अभियुक्त का यह प्रथम जमानत आवेदन है, अन्य जमानत आवेदन लम्बित नहीं है, न तो निरस्त हुआ है। कथित मुकदमें में अभियुक्त को फर्जी एवं असत्य तथ्यों के आधार पर फंसाया गया है, वह निर्दोष है। अभियुक्त का न तो कोई संगठित गिरोह है और न ही किसी गिरोह का सक्रिय सदस्य है। उसने किस माध्यम से किस रूप में आर्थिक लाभ प्राप्त किया, इसका कहीं उल्लेख नहीं है। गैंगचार्ट में दर्शित मुकदमें अज्ञात में दर्ज किये गये है और उनमें अभियुक्त जमानत पर है। आवेदक/अभियुक्त जमानत का दुरूपयोग नहीं करेगा और विचारण में सहयोग करेगा। अतः आवेदक/अभियुक्त को जमानत पर रिहा किये जाने की याचना की गयी है।

अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता तथा राज्य की ओर से विद्वान ए०डी०जी०सी० क्रिमिनल की बहस को सुना और केस डायरी एवं अभियोजन प्रपत्रों का सम्यक अवलोकन किया।

अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता ने दौरान बहस यह तर्क दिया कि आवेदक/अभियुक्त निर्दोष है। आवेदक/अभियुक्त को झूठा फंसाया गया है। गैंगचार्ट में जितने भी मुकदमें दर्शित किये गये है उनमें आवेदक/अभियुक्त जमानत पर है। स्थानीय पुलिस द्वारा प्रशासन के दबाव में आकर गुडवर्क दिखाने के चक्कर में फर्जी तरीके से गैंगस्टर कार्यवाही की गयी है। आवेदक/अभियुक्त किसी गिरोह का न तो सरगना हैं और न ही सक्रिया सदस्य हैं। आवेदक/अभियुक्त को जमानत पर रिहा किया जाये।

राज्य की ओर से विद्वान ए०डी०जी०सी० (क्रिमिनल) ने दौरान बहस यह तर्क दिया कि अभियुक्त संगठित गिरोह का सदस्य हैं। वह गिरोह के सरगना व अन्य सदस्यों

के साथ मिलकर अपने को आर्थिक, भौतिक व दुनियाबी लाभ पहुंचाने के लिए चोरी व नकबजनी की घटना कारित करके चोरी से प्राप्त किया गया सामान बेचकर धन अर्जित किया जा रहा था। आवेदक/अभियुक्त का आपराधिक इतिहास है। गैंग चार्ट के अनुसार आवेदक/अभियुक्त के विरूद्ध अन्य मुकदमें भी पंजीकृत है। अतः आवेदक/अभियुक्त का जमानत आवेदन निरस्त करने की याचना की।

पत्रावली पर उपलब्ध अभियोजन प्रपत्रों के परिशीलन से स्पष्ट है कि अभियुक्त मैनुद्दीन उर्फ खुर्चाली उर्फ लम्बू गैंग चार्ट के अनुसार एक संगठित सक्रिय गैंग का सक्रिय सदस्य प्रतीत होता है। मामले में विवेचना प्रचलित है। प्रकरण की सम्प्रगता तथा धारा–19(4) बी० उत्तर प्रदेश गिरोहबंद व समाज विरोधी क्रिया कलाप निवारण अधिनियम 1986 के प्रावधानों को दृष्टिगत रखते हुए न्यायालय के समक्ष यह विश्वास करने का कोई पर्याप्त आधार नहीं है कि अभियुक्त ने उपरोक्त वर्णित अपराध नहीं किया है तथा वह जमानत पर छूटने के पश्चात समान प्रकार का आपराधिक गतिविधियों में पुनः संलिप्त नहीं होगा तथा कोई अपराध कारित नहीं करेगा। आवेदक/अभियुक्त पर गिरोह के सरगना व अन्य सदस्यों के साथ मिलकर अपने को आर्थिक, भौतिक व दुनियाबी लाभ पहुँचाने के लिए जनपद श्रावस्ती एवं आस पास के जनपदों में चोरी व नकबजनी की घटना कारित करके चोरी से प्राप्त किया गया सामान बेचकर धन अर्जित करने का अपराध कारित किये जाने का आरोप है। जिससे उसके विरूद्ध पर्याप्त साक्ष्य एकत्रित किया जा चुका है।

गैंगचार्ट एवं थाने की आख्या के अनुसार आवेदक/अभियुक्त मैनुद्दीन उर्फ खुर्चाली उर्फ लम्बू के विरूद्ध निम्नलिखित आपराधिक इतिहास दर्ज हैः–

1–मुकदमा अपराध संख्या–307/2025 धारा–109,351(3),352 बी०एन०एस० व धारा–3/25 आयुध अधिनियम, थाना–गिलौला, जनपद श्रावस्ती।

2– मुकदमा अपराध संख्या–82/2025 धारा–305(a),317(2),317(4) बी०एन०एस०, थाना–एन०एम०पी०टी०, जनपद श्रावस्ती।

3– मुकदमा अपराध संख्या–263/2025 धारा–331(4),305(a),317(2),317(4), 3(5) बी०एन०एस०, थाना–गिलौला, जनपद श्रावस्ती।

4– मुकदमा अपराध संख्या–338/2020 धारा–379,411,420,467,468,471 भा०दं०सं०, थाना–रूपईडीहा, जनपद–बहराइच।

5– मुकदमा अपराध सख्या–340/2020 धारा–3/25 आयुध अधिनियम, थाना–रूपईडीहा, जनपद–बहराइच।

6– मुकदमा अपराध संख्या–342/2020 धारा–8/20 एन०डी०पी०एस० एक्ट, थाना–रूपईडीहा, जनपद–बहराइच।

7– मुकदमा अपराध संख्या–344/2020 धारा–39,48ए,51,52,9 वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, थाना–रूपईडीहा, जनपद–बहराइच।

आवेदक/अभियुक्त पर गिरोह के सरगना व अन्य सदस्यों के साथ मिलकर अपने को आर्थिक, भौतिक व दुनियाबी लाभ पहुँचाने के लिए जनपद श्रावस्ती एवं आस पास के जनपदों में चोरी व नकबजनी की घटना कारित करके चोरी से प्राप्त किया गया सामान बेचकर धन अर्जित करने का अपराध कारित किये जाने का आरोप है। जिससे उसके विरूद्ध पर्याप्त साक्ष्य एकत्रित किया जा चुका है। थाने की आख्या के अनुसार आवेदक/अभियुक्त के विरूद्ध आपराधिक इतिहास के रूप में 7 मुकदमें दर्शित किये गये हैं। थाने की आुख्या के अनुसार अभियुक्त जमानत पाने के उपरान्त जमानत का दुरूपयोग करने की प्रबल सम्भावना है। अतः मामले के गुणदोष पर कोई अभिमत व्यक्त किये बिना आवेदक/अभियुक्त द्वारा कारित अपराध की गम्भीर प्रकृति तथा मामले के तथ्य एवं परिस्थितियों के दृष्टिगत इस न्यायालय के मत में आवेदक/अभियुक्त का जमानत आवेदन

पत्र स्वीकार किये जाने का आधार पर्याप्त नहीं है।

<u>आदेश</u>

आवेदक/अभियुक्त मैनुद्दीन उर्फ खुर्चाली उर्फ लम्बू पुत्र वली मोहम्मद द्वारा मुकदमा अपराध संख्या–107/2026 धारा–3(1) उत्तर प्रदेश गिरोहबन्द समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, थाना–गिलौला, जनपद–श्रावस्ती के मामले में प्रस्तुत जमानत आवेदन खारिज किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

दिनांक–24–07–2026

(सौरभ सक्सेना)
विशेष न्यायाधीश(गैंगेस्टर एक्ट)/
अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश
(अनन्य रूप से पॉक्सो अधिनियम) श्रावस्ती।